



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या— ८बी/यू.पी./०६/१०/२०१७/एफ.सी. /९०७

दिनांक: १५-३-१८

सेवा में

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, ६वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Others/21110/2016

विषय: बदायूं में चन्दौसी—बदायू मार्ग एस.एच० 43 किमी० 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या—210 में एस्सार औयल कंपनी लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हेऋ (पूर्व में 0.06776 हेऋ) संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— 139/14-2-2017-800 (198)/2016, दिनांक— 16.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— पी—200/14-2-2016-800 (198)/2016, दिनांक— 20.01.2017 आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समर्संख्यक पत्र दिनांक— 24.11.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार बदायूं में चन्दौसी—बदायू मार्ग एस.एच० 43 किमी० 59 पर ग्राम मुड़िया के खसरा संख्या—210 में एस्सार औयल कंपनी लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेऋ 0.075028 हेऋ संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः—

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वारा विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी०हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

14/3/18

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पैट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास के बीच की (232.32 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जाएगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
7. इस सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रस्तुत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सूचना / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।


उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवायक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिय पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रिय पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदौयू, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि�0, ऐ-5, सेक्टर-3, नोएडा-201301
6. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली



14/3/18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}